27/5/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 14/6/22 को पेश हो ।

14/06/22 - दोनों पक्षों के वकील उपस्थित बहस सुनी
नहीं इल्तवां कारणे नियत दिनांक 20/6/22
को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

20/06/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 19/7/22 को पेश हो ।

19/07/22 - दोनों पक्षों के वकील उपस्थित बहस
सुनी गयी आदेश अलग से लिखाया
जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।
पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 01/2018

अपीलाण्ट

1. भूराराम पुत्र भलाराम
   जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत बेरीगांव जरिये सरपंच बेरीगांव
2. मोहन पुत्र नेनाराम
3. सावला पुत्र नेनाराम
   निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. काली पुत्री नेनाराम पत्नि रामलाल निवासी बी गोलिया तहसील सांचोर
5. धनी पुत्री नेनाराम पत्नि तुलसाराम निवासी वीरावा तहसील चितलवाना जिला जालोर
6. मूमल पुत्री नेनारराम पत्नि पूनमाराम निवासी बारसण तहसील गुडामालानी
7. रिडमल पुत्र भलाराम
8. अणदी पत्नी भलाराम
9. रावता पुत्र समेला
10. विरधा पुत्र छोगा
11. भेरा पुत्र छोगा
12. सावला पुत्र छोगा
13. हंजारी पुत्र छोगा
14. जैनी पत्नी छोगा
15. गोरधन पुत्र सगराम
16. नरीगाराम पुत्र सगराम
17. सुजानाराम पुत्र सगराम
18. रामूराम पुत्र सगराम
19. बाबूलाल पुत्र सगराम
20. बंशीलाल पुत्र सगराम
21. रामलाल पुत्र सगराम फौत के कायम मुकाम :–
    21/1 मांगीलाल पुत्र रामलाल
    21/2 भंवरलाल पुत्र रामलाल
    21/3 जेती पत्नी रामलाल
22. पूनमाराम पुत्र धूडाराम फौत के कायम मुकाम :–
    22/1 विरधाराम पुत्र पूनमाराम
    22/2 जयरूपाराम पुत्र नूनमाराम
    22/3 देवाराम पुत्र पूनमाराम फौत के कायम मुकाम
    22/3/1 जोराराम पुत्र देवाराम
    22/3/2 जमना पत्नी देवाराम
23. फगलूराम पुत्र देराम
24. हेमराज पुत्र देराम
25. सुखराम पुत्र देराम
26. सरूपाराम पुत्र हराराम
27. लाडूराम पुत्र हराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

शमी पत्नी राजूराम
अशोक पुत्र राजूराम
निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी
30. शाखा प्रबन्धक TAGB धोरीमना
31. शाखा प्रबन्धक SBI गुड़ामालानी
32. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 198 दिनांक 27.11.2000
जो उत्तरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत बेरीगांव द्वारा पारित किया गया

उपस्थित :–

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता अपीलाण्ट**
2. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 व 3**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.07.22

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम धोलीनाडी के नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 27.11.2000 को ग्राम पंचायत बेरीगांव द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने दिनांक 13.11.2000 को पंजीवद्ध दस्तावेज संख्या 773 के जरिये ग्राम धोलीनाडी के खेत खसरा नम्बर 32, 33 रकबा क्रमशः 5–10 बीघा व 60–19 बीधा कुल रकबा 66–09 बीघा भूमि में से उत्तरदाता संख्या 2 ता 6 के पिता नैनाराम पुत्र समेलाराम का सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा क्रय किया गया, इस पंजीयन दस्तावेज के अनुसार ग्राम धोलीनाडी का नामान्तरकरण संख्या 198 दर्ज होकर ग्राम पंचायत बेरीगांव द्वारा दिनांक 27.11.2000 को स्वीकृत किया, नामान्तरकरण संख्या 198 के कॉलम संख्या 9 में प्रविष्टि के दौरान विक्रेता नैनाराम द्वारा उक्त दोनों खसरों 32 व 33 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा के बेचान होने के कारण नैनाराम की जगह क्रेता अपीलाण्ट भूराराम पुत्र भलाराम का नाम ही दर्ज होना चाहिये था, परन्तु लिपिकीय त्रुटिवंश अपीलाण्ट भूरराराम के साथ साथ नैनाराम का भी नाम दर्ज कर दिया गया। कालान्तर में नैनाराम का स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान उत्तरदाता [illegible] ग्राम धोनीनाडी के नामान्तरकरण संख्या 301 के जरिये [illegible] 2, 33 में दर्ज हो गये। हाल ही 10 दिन [illegible] आदान–अनुदान की राशि के बारे में बताया तो राजस्व रेकर्ड की न[illegible] प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ जिससे उत्तरदाता संख्या 2 ता 6 का नाम अपीलाण्ट के नाम के साथ सहखातेदारी से हटाये जाने एवं उत्तरदाता संख्या 2 ता 6 के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी